6/4/15 — पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली बईन्तजार रिपोर्ट 13/4/15 को पेश होवे। [signature]

13/4/15 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली बइन्तजार रिपोर्ट हलका 11-5-15 को पेश हो। [signature]

11/5/15 — पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली बईन्तजार रिपोर्ट दिनांक 28-5-15 को पेश होवे। [signature]

28-5-15

पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी/[illegible] उपस्थित/अनुपस्थित/ पत्रावली लोक [illegible] में पेश हुई, पक्षकारान के समझाइश [illegible] गई। परन्तु राजीनामा नही हुआ। [illegible] पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापस लौटाई जावे। पत्रावली दिनांक 24-6-15 को पेश हो। [signature]

24/6/15 — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली बाबत आदेश दि. 1/7/15 को पेश होवे। [signature]

~~8/7/15~~ —
1/7/15 — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में निर्णय शेष है। पत्रावली बाबत आदेश दि. 13/7/15 को पेश होवे। [signature]

13/7/15 — पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनवाई की जा चुकी है। पत्रावली में प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ख. नम्बर 4103/577/1 रकबा 1 बिस्वा भूमि किस्म आबादी भूमि सागवाड़ा-

डूँगरपुर मुख्य सड़क पर स्थित है तथा
प्रतिवादी सं 01 की खातेदारी है। प्रतिवादी के
उत्तर में मौजा गोवाड़ी का ख.नं. 586
रकबा 5.00 बीघा 16 बिस्वा भूमि चारागाह
है जिसमें परकोटा बनाया जाना बताया
गया है जबकि वादी के खाते की भूमि
खसरा नं. 4058/23/1 रकबा 10.00 बीघा
एवं खसरा नम्बर 4166/23/1 रकबा
03 बीघा भूमि है जो प्रतिवादीया की
भूमि से दूर है। अतः प्रस्तुत रिपोर्ट
एवं मानचित्र के अनुसार प्रतिवादीया
द्वारा वादिया की भूमि पर अतिक्रमण
होना सिद्ध नहीं होता है अतः
प्रा. पत्र वादीया खारिज किया जाता
है ~~पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर~~
साथ ही चूंकि प्रतिवादिया द्वारा ख.नं.
586 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर
परकोटा निर्माण किया जाना कमिशनर
रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, अतः तहसील-
दार को भू.राज. अधि. की धारा 91 के
तहत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटवाने
हेतु आदेश दिया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।